Government of Rajasthan

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग

चतुर्थ मासिक रिपोर्ट

मई, 2026

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना 3
2. विभागीय कार्यकलाप 3
3. IFMS 3.0.. 4
4. (i) पेंशनर्स की संख्या एवं उनका वर्गीकरण 13
   (ii) आयु वर्ग के अनुसार पेंशनर्स का वर्गीकरण 13
   (iii)पेंशन भुगतान आदेश 14
5. परिवेदना निवारण 17
6. वृतांत 18
7. प्रथम पेंशन अदालत 21

संक्षिप्त परिचय

1. प्रस्तावना

पेंशन विभाग की स्थापना दिनांक 1 दिसम्बर, 1979 को हुई थी। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन स्वीकृति आदेश जारी करने के पश्चात् पेंशन विभाग पेंशन अधिकृतियां जारी करता है। पेंशन विभाग का उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का भुगतान करना है। वर्तमान में पेंशन विभाग द्वारा नवीनतम प्रक्रियाओं के माध्यम से कम्प्यूटर जनित सेवाओं का उपयोग किया जाकर पेंशन अधिकृतियां जारी किये जाने एवं पेंशन संबंधित परिवेदनाओं के निराकरण का कार्य किया जा रहा है। उक्त समस्त कार्यों का निष्पादन पेंशन विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ संभाग स्तर के कार्यालयों (अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर) द्वारा किया जा रहा है।

2. विभागीय कार्यकलाप :–

विभाग के द्वारा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राज्य केडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मूल एवं संशोधित अधिकृतियॉ जारी करने, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं नकद राशि अधिकृत करने, पुलिस पदक, विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं, भूतपूर्व रियासतों के शासकों के हाउस होल्डर्स स्टाफ एवम् भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजस्व मंडल, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड, कर बोर्ड आदि के अध्यक्ष एवं सदस्यों एवम् नगरपालिका/परिषदों, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् तथा नगर विकास न्यास के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश जारी करने एवं अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं ।

साथ ही पेंशन विभाग के द्वारा मृत्यु एवं सेवानिवृति उपादान राशि अधिकृत करना एवं जीवनकालीन बकाया/पेंशन बकाया के भुगतान की स्वीकृति जारी करना आदि कार्य भी किए जाते हैं। वर्तमान में केन्दीकृत पेंशन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत एकल आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन परिलाभों को भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

3. **IFMS 3.0 के माध्यम से पेंशन विभाग के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं :–**

- सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक IFMS 3.0 पोर्टल से सुगमता से पेंशन प्रपत्र अपने SSO-ID पर लॉगईन कर ऑनलाईन माध्यम से तैयार कर कार्यालयाध्यक्ष को व कार्यालयाध्यक्ष पेंशन विभाग को ऑनलाईन प्रेषित करते हैं। विभाग के इस पोर्टल पर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक से प्राप्त पेंशन आवेदनों की ऑनलाईन जांच कर सेवानिवृत्त कार्मिक को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं कम्यूटेशन की अधिकृतियां ई–हस्ताक्षर (E-Sign) द्वारा जारी की जा रही हैं। यह व्यवस्था अत्यन्त सरल एवं सुगम होने से समय की बचत होती है एवं इससे पेंशन प्रकरणों में अतिशीघ्र पेंशन की अधिकृतियां जारी किया जाना संभव हो सका है।

- पेंशन आवेदन के विभाग में प्राप्त होने के पश्चात ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) अधिकृतियां जारी होने तक की प्रक्रिया में होने वाली प्रगति की जानकारी मोबाईल पर SMS के माध्यम से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उपलब्ध करवायी जा रही है। इस पोर्टल से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन प्रकरणों की प्रगति की ऑनलाईन स्थिति देखने एवं जारी की गई अधिकृतियों को download करने की सुविधा उपलब्ध है। पेंशन पोर्टल से दिनांक 01.06.2023 से दिनांक 31.12.2025 तक लगभग 53226 ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) पेंशन अधिकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

- दिनांक 30.09.2023 के पश्चात के प्रोविजनल सेवानिवृत्ति के पेंशन प्रकरण ऑनलाईन IFMS 3.0 पोर्टल से प्रेषित करने की सुविधा एवं दिनांक 25.10.2023 व इसके पश्चात के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पेंशन प्रकरण भी IFMS 3.0 पोर्टल से संचालित हैं। इस पोर्टल से जारी पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं कम्यूटेशन की ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) अधिकृतियों के रिवीजन प्रकरणों की सुविधा दिनांक 04.12.2023 से ऑनलाईन शुरू की जा चुकी हैं।

- पेंशनरों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार के अधिकारियों/कार्मिकों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) को स्वयं की SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जारी करने की सुविधा भी IFMS 3.0 पोर्टल पर उपलब्ध है।

- मासिक पेंशन स्लिप तथा पेंशन का वार्षिक विवरण देखने हेतु मोबाईल ऐप की सुविधा विकसित की गई है। इस मोबाईल ऐप के माध्यम से पेंशनर अपनी मासिक पेंशन, अतिरिक्त पेंशन तथा स्त्रोत पर आयकर की कटौतियों का विवरण देख सकते हैं।

- पारिवारिक पेंशनर्स की जन्म तिथि निर्धारण के संबंध में जारी आदेश को डिजीटल किया जाकर स्वतः कोषालय के लिगेसी डेटा में परिवर्तन किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिससे पेंशनर को इस कार्य हेतु कोषालय में जाने की आवश्यकता नही है।

- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 83 के अन्तर्गत संबंधित कर्मचारी को सेवनिवृत्ति की दिनांक से 6 माह पूर्व ही पेंशन प्रकरण अधिकृति जारी करने हेतु पेंशन विभाग को भिजवाया जा सकता है। इसके लिए कार्मिक सेवानिवृत्ति से 180 दिवस (6 माह) पूर्व अपनी स्वयं की SSO ID के माध्यम से IFMS 3.0 में Employee Self Service पर जाकर कुल 8 Fields को पूर्ण कर पेंशन प्रकरण स्वयं के विभाग (Head of office) में प्रस्तुत कर सकता है। **यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से Paperless है।**
- कार्यालयाध्यक्ष (चैकर) के स्तर पर कार्मिक द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रकरण का समुचित सत्यापन एवं अद्यतन उपरान्त लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र अपलोड कर पेंशन विभाग को ऑनलाईन अग्रेषित किया जाता है। **यह प्रक्रिया भी पूर्ण रूप से Paperless है।**
- कार्यालयाध्यक्ष (अप्रूवर) के स्तर पर कार्मिक द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रकरण का समुचित सत्यापन, अद्यतन एवं अपलोड़ किये गये दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त Aadhar Based E-Sign कर पेंशन विभाग को ऑनलाईन अग्रेषित किया जाता है। **यह प्रक्रिया भी पूर्ण रूप से Paperless है।**
- **पारिवारिक पेंशन प्रकरण पर ऑनलाईन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। यह प्रक्रिया भी पूर्णरूप से Paperless है।**

सेवा में रहते मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने के चरण

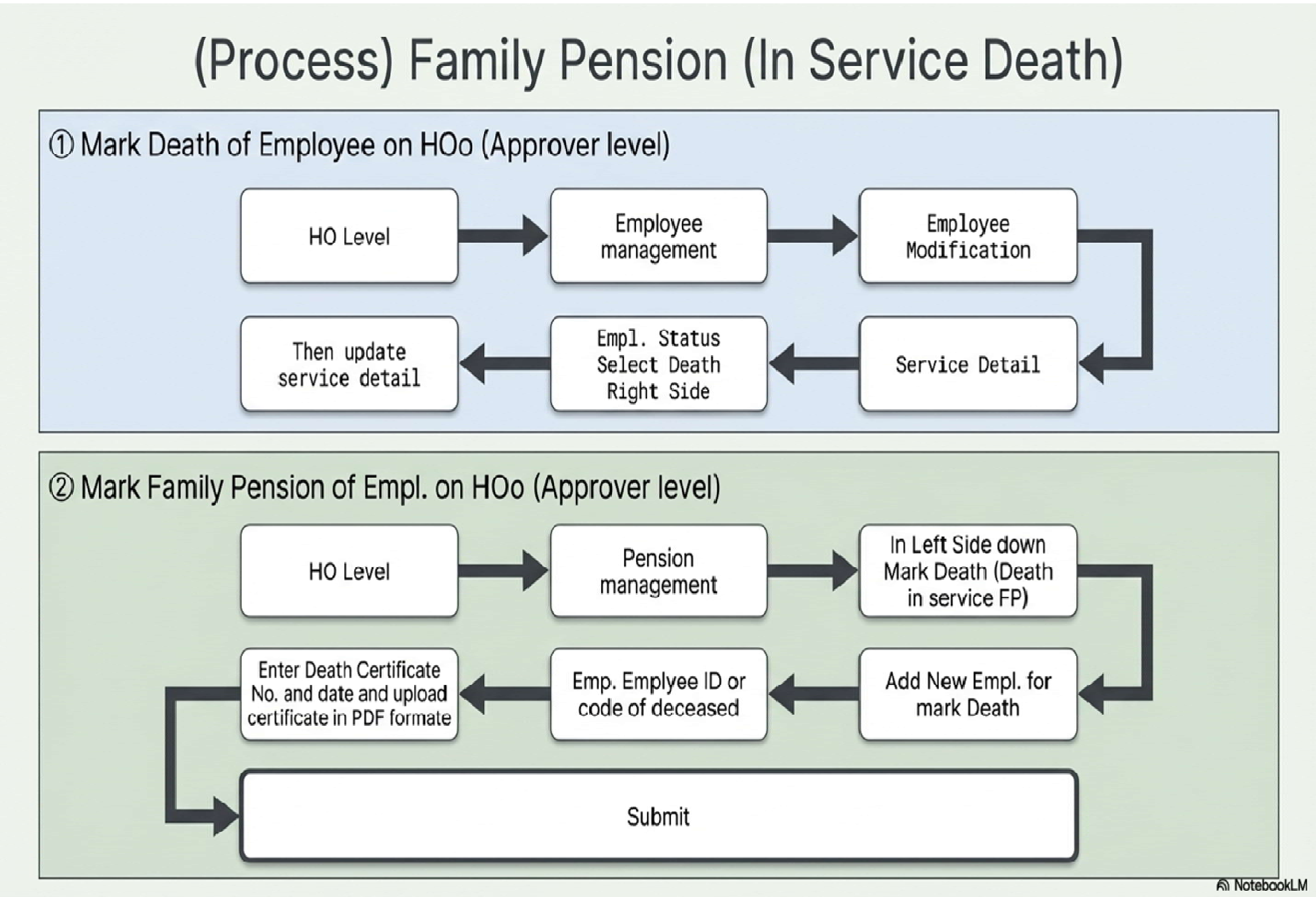

प्रथम चरण :– मृतक कर्मचारी की Employee Management में Death Mark करना Salary Stop करने के लिए

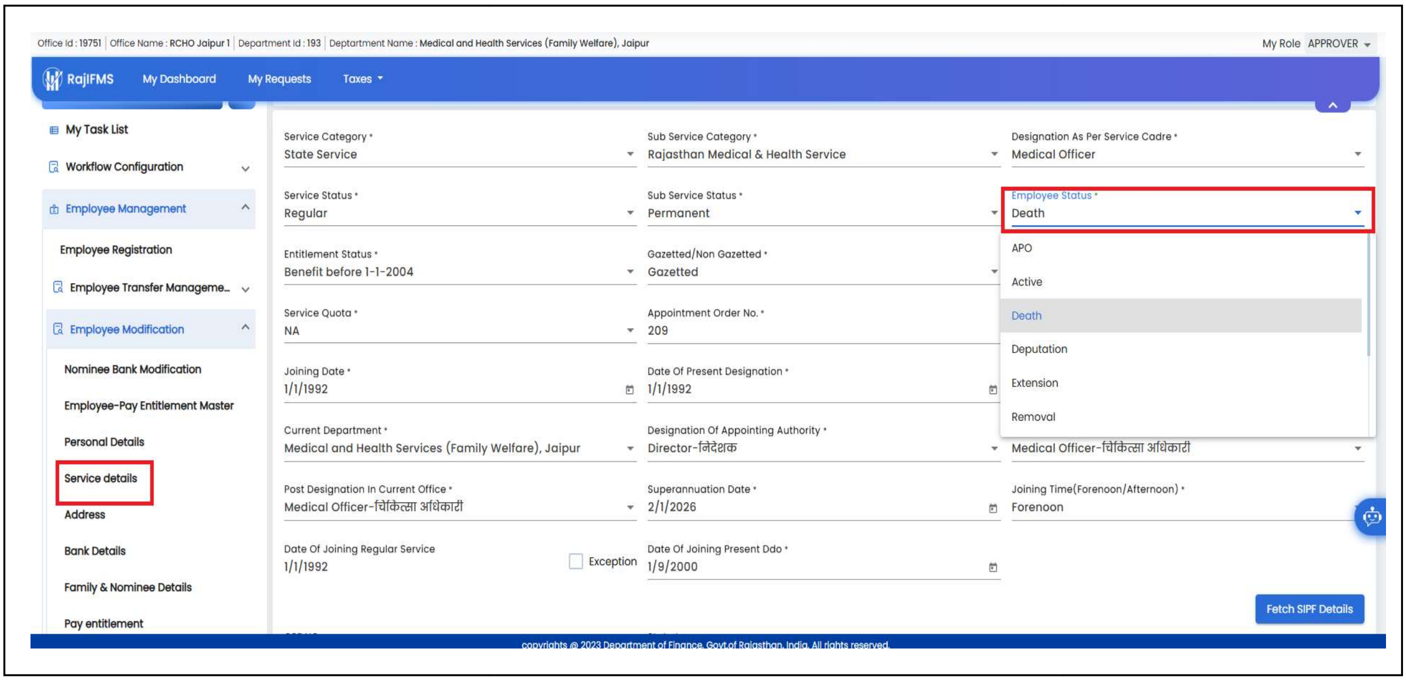

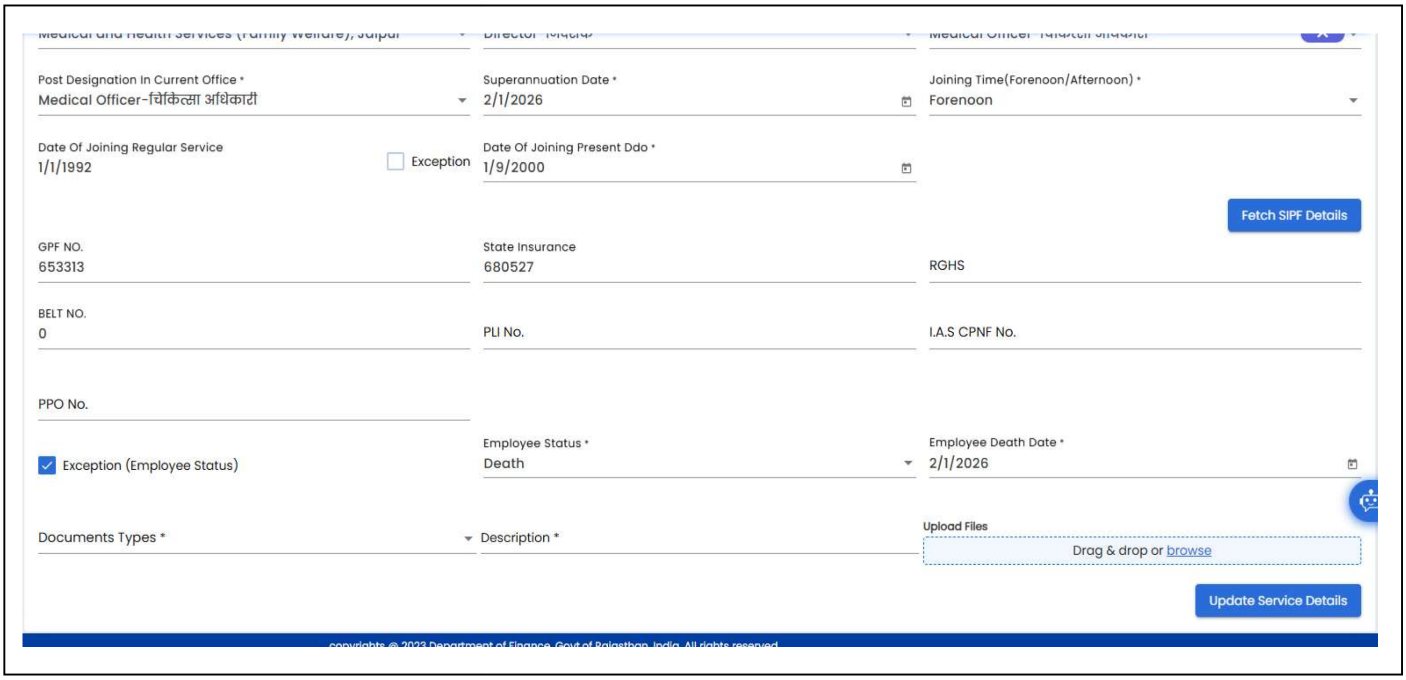

द्वितीय चरण :– मृतक कर्मचारी की Pension Management में Family Pension के लिए Death Mark करना

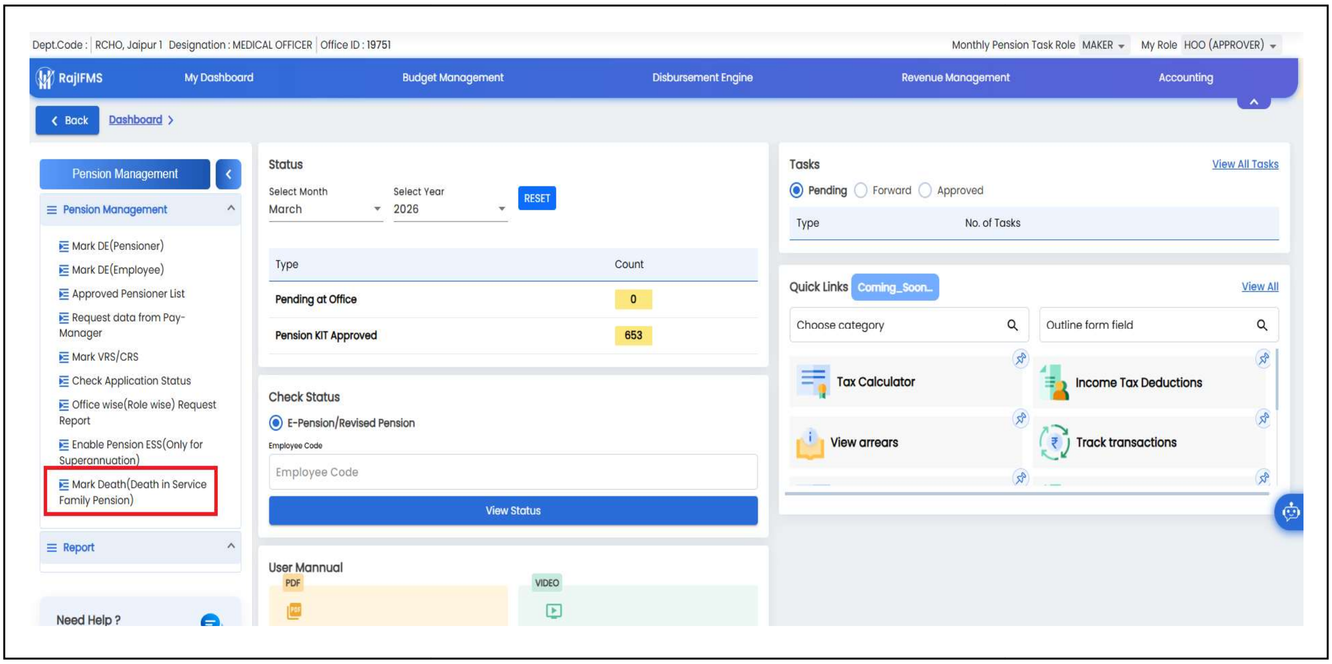

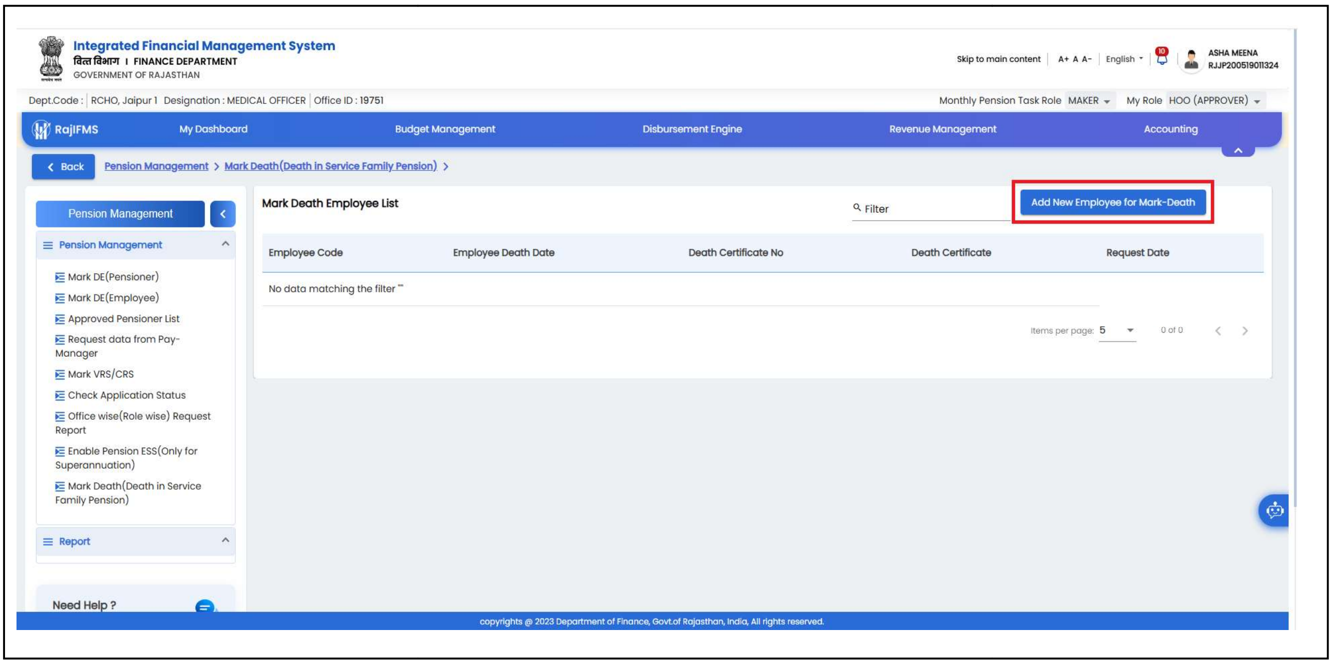

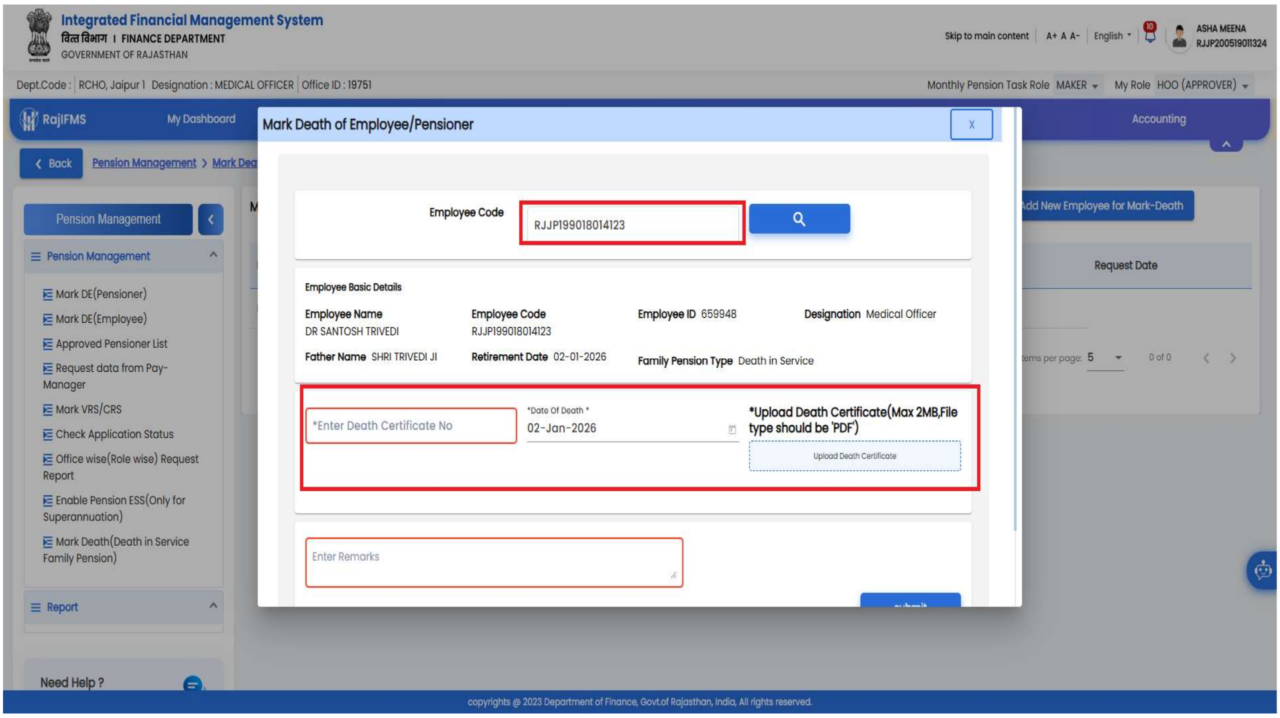
Integrated Financial Management System
वित्त विभाग I FINANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Mark Death of Employee/Pensioner
Employee Code
RJJP199018014123
Employee Basic Details
Employee Name
DR SANTOSH TRIVEDI
Employee Code
RJJP199018014123
Employee ID 659948
Designation Medical Officer
Father Name SHRI TRIVEDI JI
Retirement Date 02-01-2026
Family Pension Type Death in Service
*Enter Death Certificate No
02-Jan-2026
*Upload Death Certificate(Max 2MB,File type should be 'PDF')
Upload Death Certificate
Enter Remarks

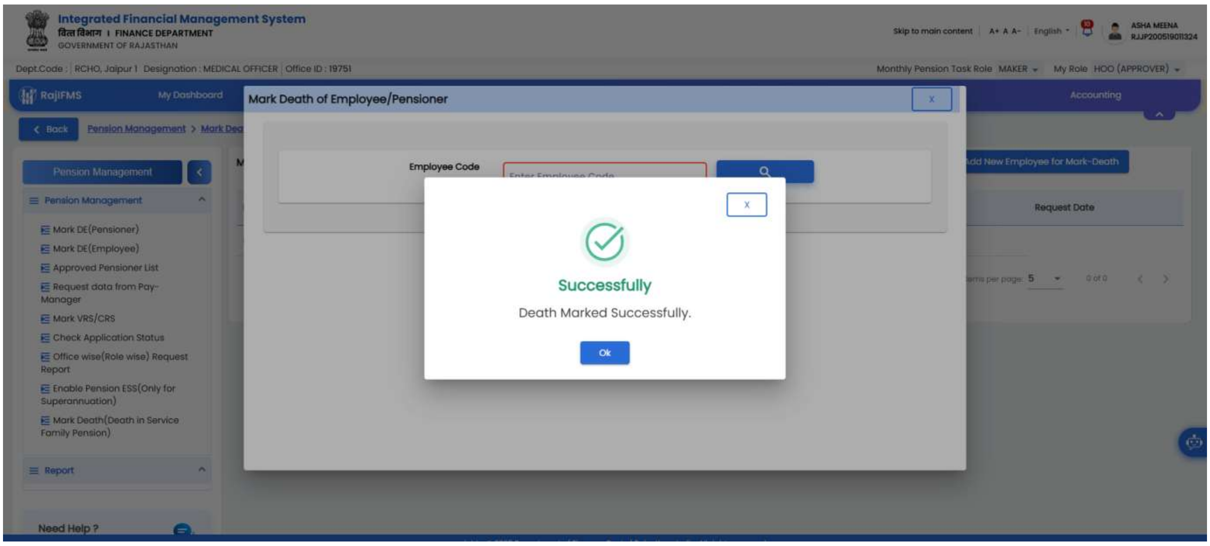
Integrated Financial Management System
Mark Death of Employee/Pensioner
Successfully
Death Marked Successfully.
Ok

तीसरा चरण :– पारिवारिक पेंशनर द्वारा स्वयं की SSO ID से Citizen Self Service पर जाकर पेंशन प्रकरण भरना

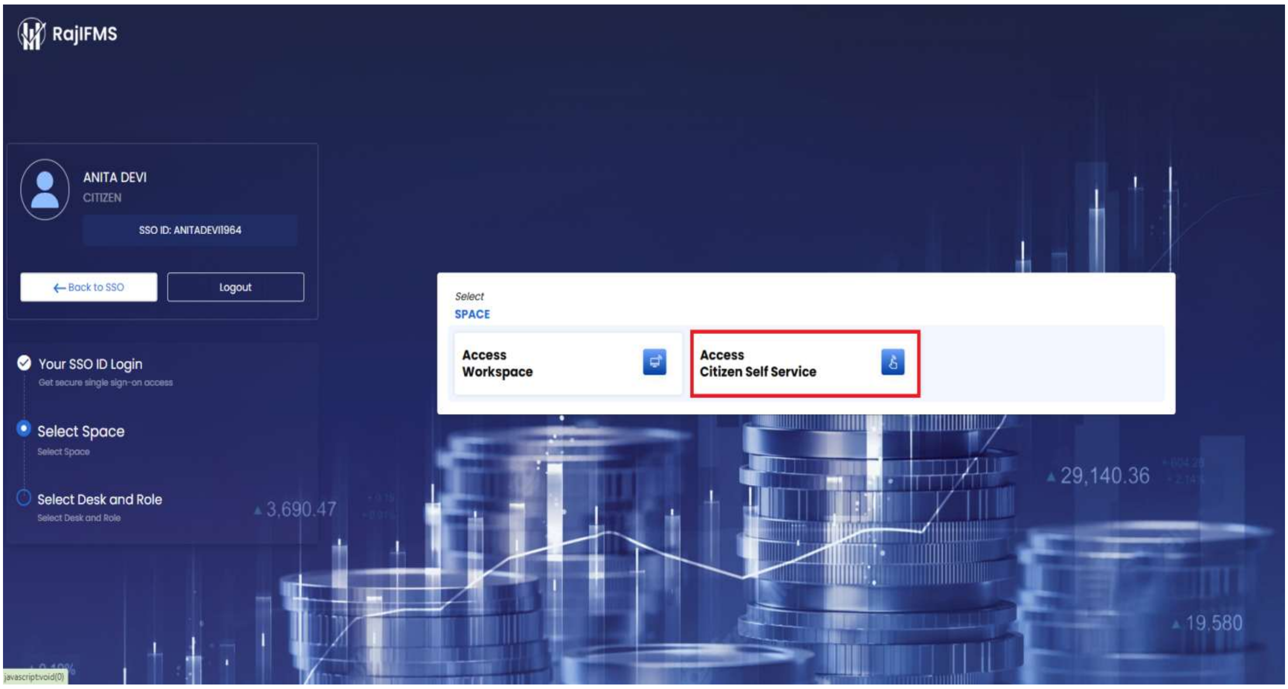

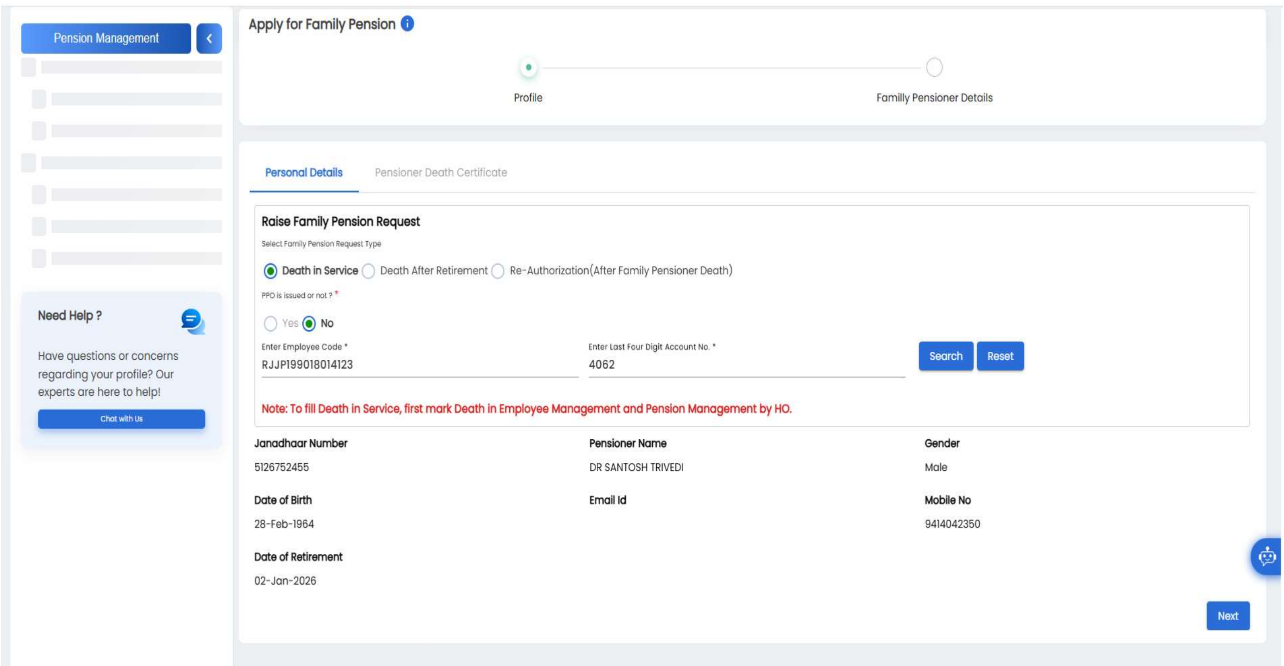

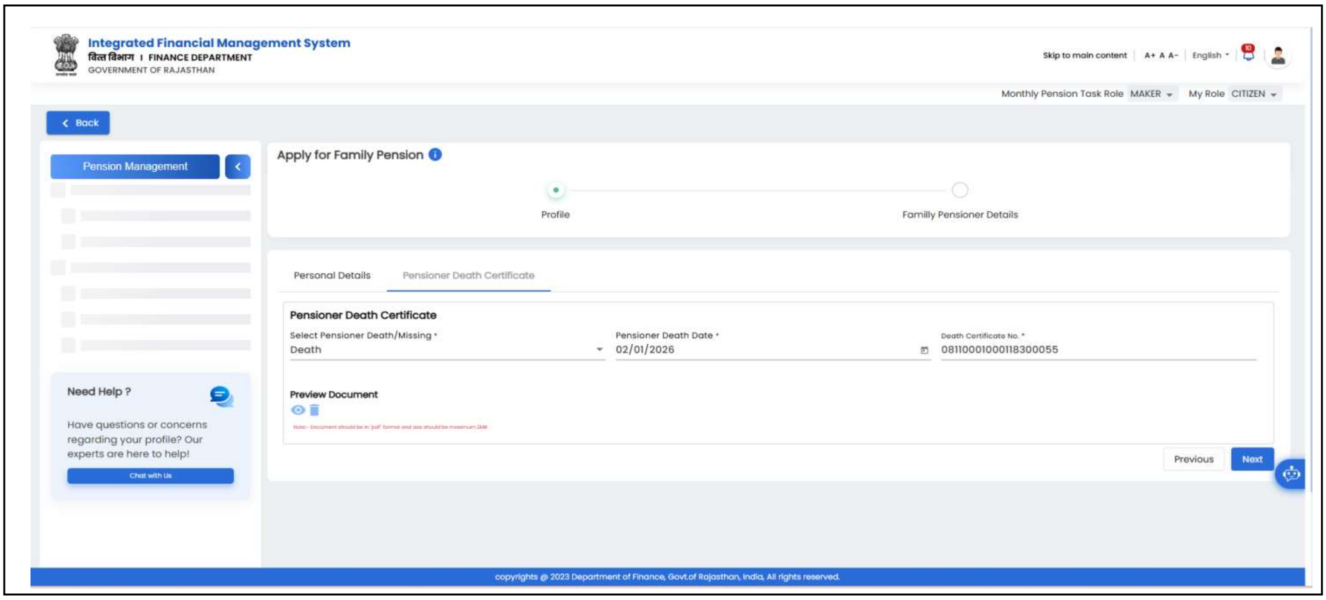
Integrated Financial Management System
वित्त विभाग | FINANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Skip to main content
A+ A A-
English
Monthly Pension Task Role MAKER
My Role CITIZEN
Back
Pension Management
Apply for Family Pension
Profile
Familly Pensioner Details
Personal Details
Pensioner Death Certificate
Pensioner Death Certificate
Select Pensioner Death/Missing *
Death
Pensioner Death Date *
02/01/2026
Death Certificate No. *
08110001000118300055
Preview Document
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
Chat with Us
Previous
Next
copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

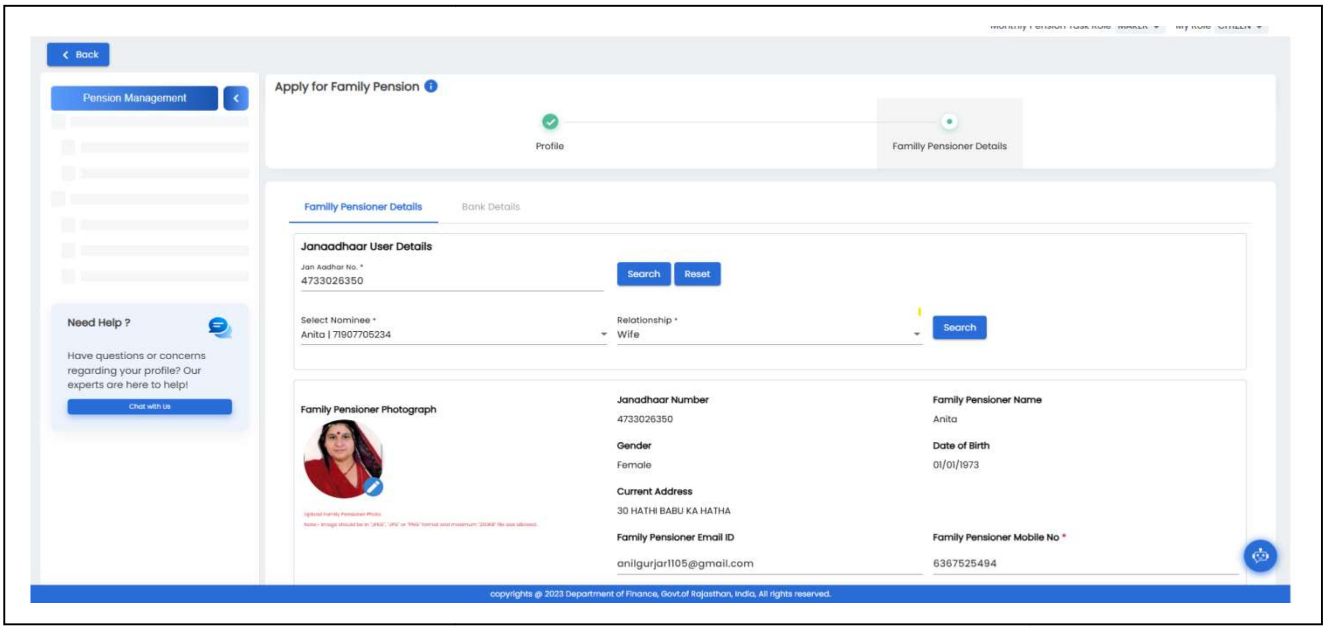
Back
Pension Management
Apply for Family Pension
Profile
Familly Pensioner Details
Familly Pensioner Details
Bank Details
Janaadhaar User Details
Jan Aadhar No. *
4733026350
Search
Reset
Select Nominee *
Anita | 71907705234
Relationship *
Wife
Search
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
Chat with Us
Family Pensioner Photograph
Janadhaar Number
4733026350
Family Pensioner Name
Anita
Gender
Female
Date of Birth
01/01/1973
Current Address
30 HATHI BABU KA HATHA
Family Pensioner Email ID
anilgurjar1105@gmail.com
Family Pensioner Mobile No *
6367525494
copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

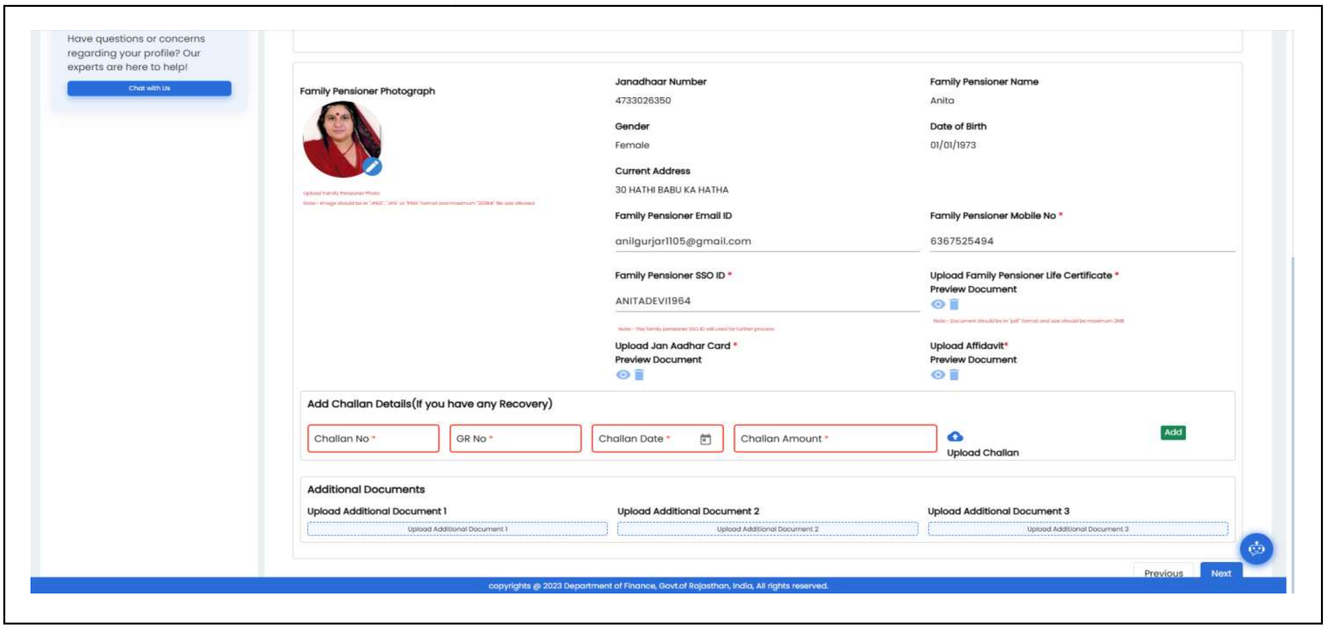
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
Chat with Us
Family Pensioner Photograph
Janadhaar Number
4733026350
Family Pensioner Name
Anita
Gender
Female
Date of Birth
01/01/1973
Current Address
30 HATHI BABU KA HATHA
Family Pensioner Email ID
anilgurjar1105@gmail.com
Family Pensioner Mobile No *
6367525494
Family Pensioner SSO ID *
ANITADEVI1964
Upload Family Pensioner Life Certificate *
Preview Document
Upload Jan Aadhar Card *
Preview Document
Upload Affidavit*
Preview Document
Add Challan Details(If you have any Recovery)
Challan No *
GR No *
Challan Date *
Challan Amount *
Upload Challan
Add
Additional Documents
Upload Additional Document 1
Upload Additional Document 2
Upload Additional Document 3
Previous
Next
copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

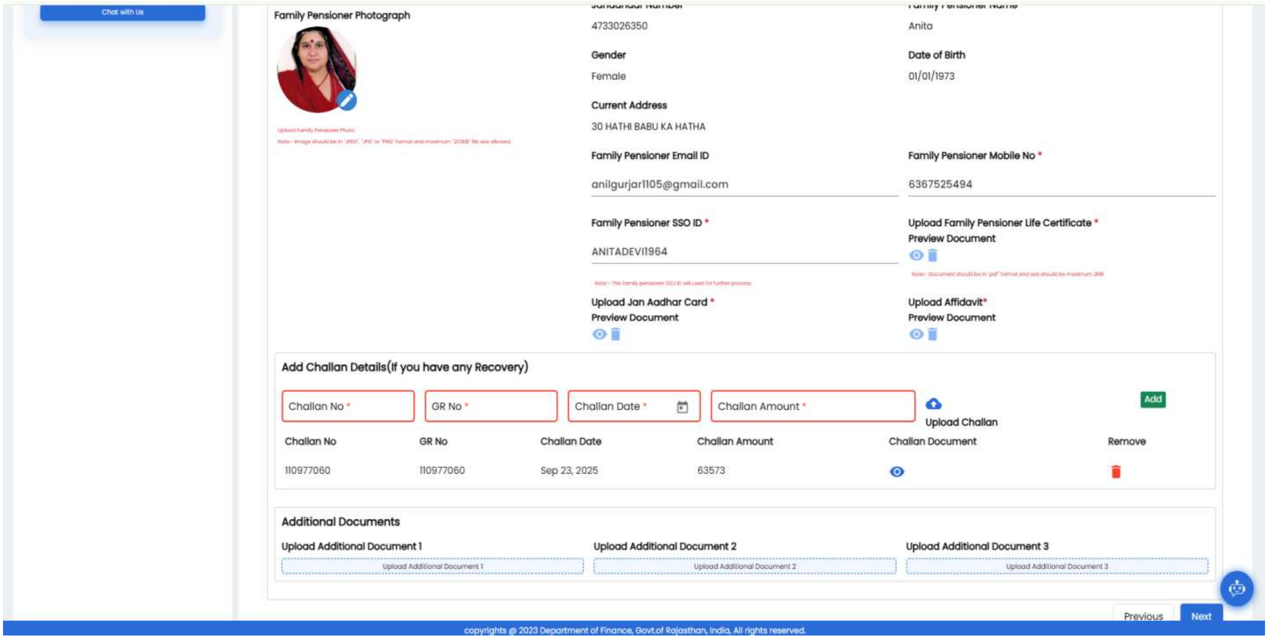
Chat with Us
Family Pensioner Photograph
4733026350
Anita
Gender
Female
Date of Birth
01/01/1973
Current Address
30 HATHI BABU KA HATHA
Family Pensioner Email ID
anilgurjar1105@gmail.com
Family Pensioner Mobile No *
6367525494
Family Pensioner SSO ID *
ANITADEVI1964
Upload Family Pensioner Life Certificate *
Preview Document
Upload Jan Aadhar Card *
Preview Document
Upload Affidavit*
Preview Document
Add Challan Details(If you have any Recovery)
Challan No *
GR No *
Challan Date *
Challan Amount *
Upload Challan
Add
Challan No
GR No
Challan Date
Challan Amount
Challan Document
Remove
110977060
110977060
Sep 23, 2025
63573
Additional Documents
Upload Additional Document 1
Upload Additional Document 2
Upload Additional Document 3
Previous
Next
copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

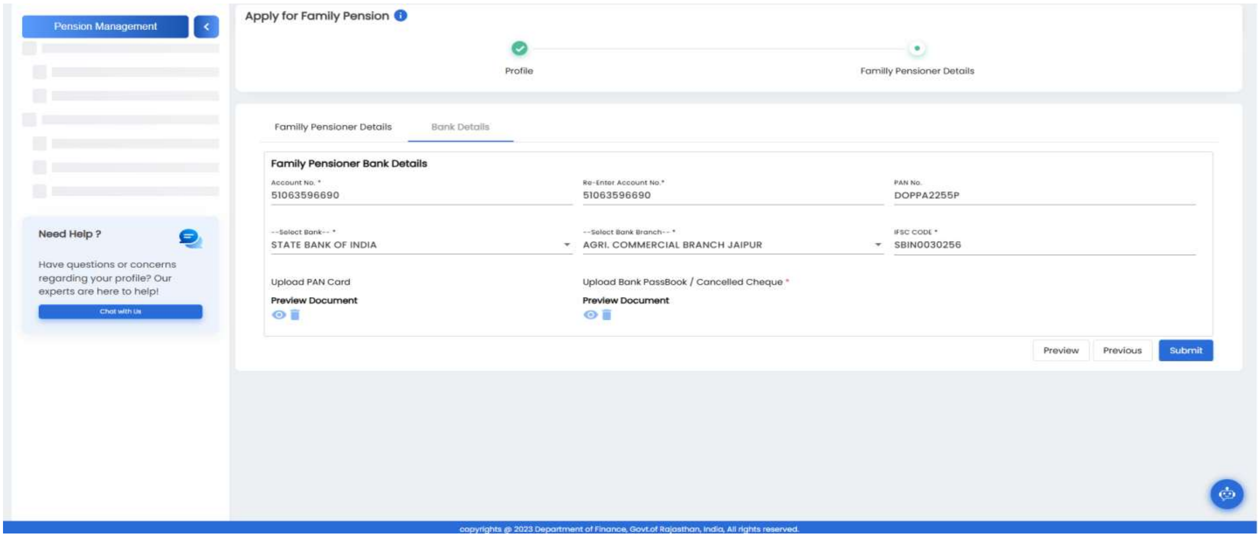
Pension Management
Apply for Family Pension
Profile
Familly Pensioner Details
Familly Pensioner Details
Bank Details
Family Pensioner Bank Details
Account No. *
51063596690
Re-Enter Account No.*
51063596690
PAN No.
DOPPA2255P
--Select Bank-- *
STATE BANK OF INDIA
--Select Bank Branch-- *
AGRI. COMMERCIAL BRANCH JAIPUR
IFSC CODE *
SBIN0030256
Upload PAN Card
Preview Document
Upload Bank PassBook / Cancelled Cheque *
Preview Document
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
Chat with Us
Preview
Previous
Submit
copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

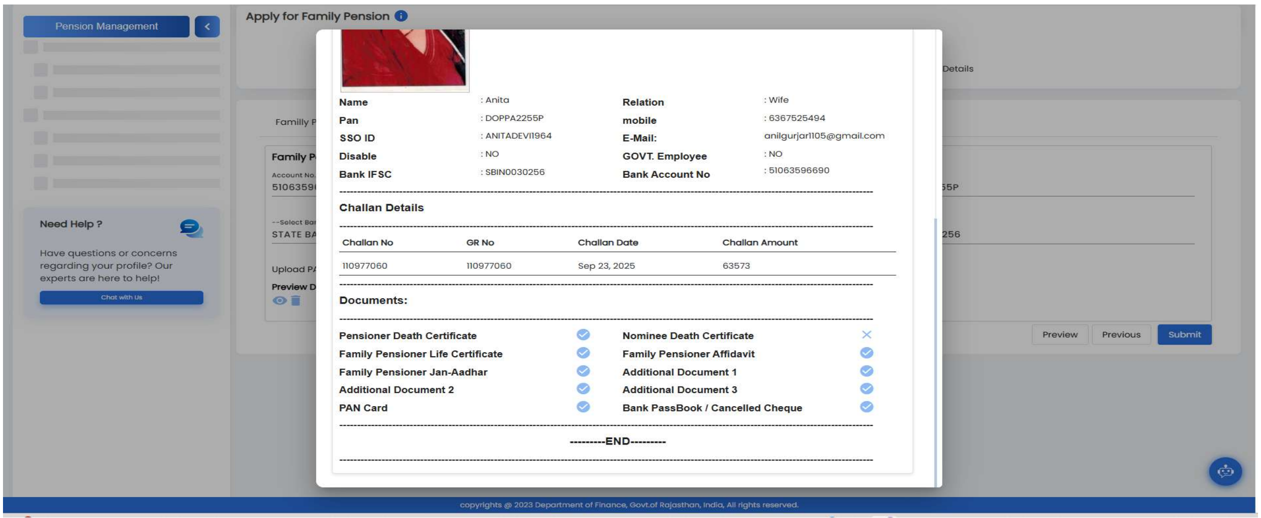
Pension Management
Apply for Family Pension
Name : Anita
Relation : Wife
Pan : DOPPA2255P
mobile : 6367525494
SSO ID : ANITADEVI1964
E-Mail: anilgurjar1105@gmail.com
Disable : NO
GOVT. Employee : NO
Bank IFSC : SBIN0030256
Bank Account No : 51063596690
Challan Details
Challan No
GR No
Challan Date
Challan Amount
110977060
110977060
Sep 23, 2025
63573
Documents:
Pensioner Death Certificate
Nominee Death Certificate
Family Pensioner Life Certificate
Family Pensioner Affidavit
Family Pensioner Jan-Aadhar
Additional Document 1
Additional Document 2
Additional Document 3
PAN Card
Bank PassBook / Cancelled Cheque
---------END---------
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
Chat with Us
Preview
Previous
Submit
copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

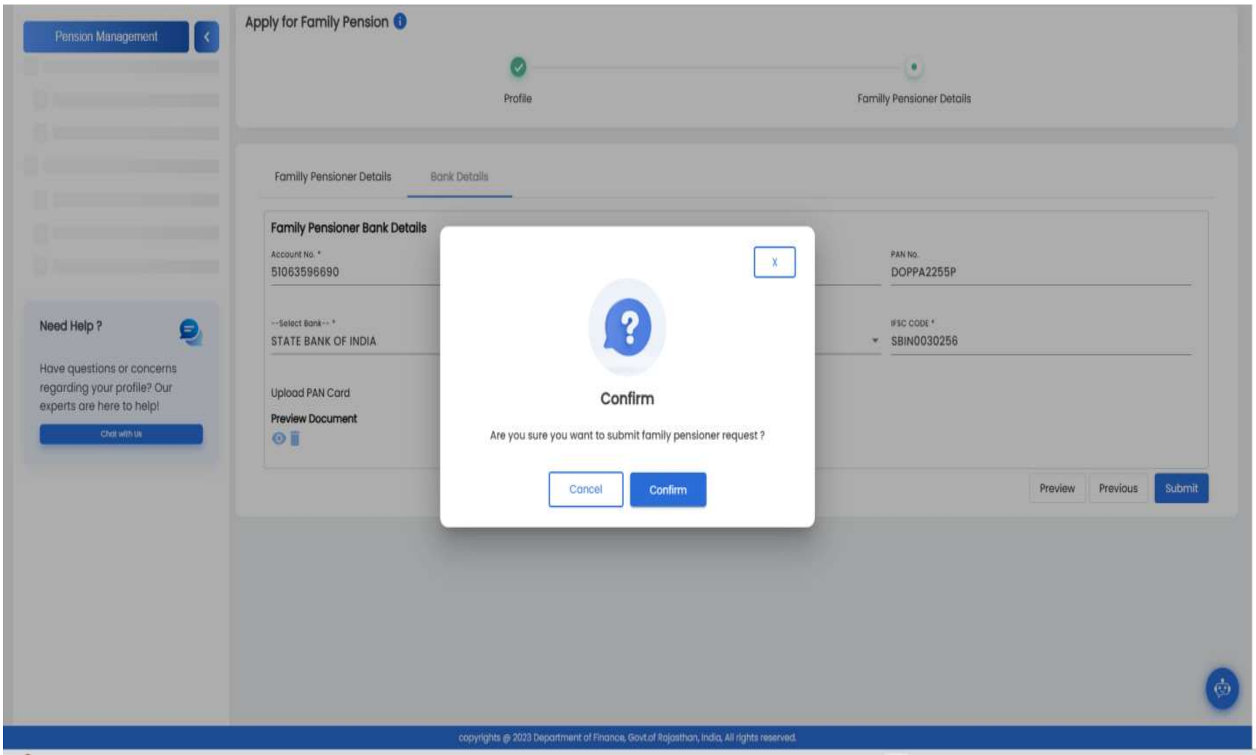
Pension Management
Apply for Family Pension
Profile
Familly Pensioner Details
Familly Pensioner Details
Bank Details
Family Pensioner Bank Details
Account No. *
51063596690
PAN No.
DOPPA2255P
--Select Bank-- *
STATE BANK OF INDIA
IFSC CODE *
SBIN0030256
Upload PAN Card
Preview Document
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
Chat with Us
Confirm
Are you sure you want to submit family pensioner request ?
Cancel
Confirm
Preview
Previous
Submit
copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

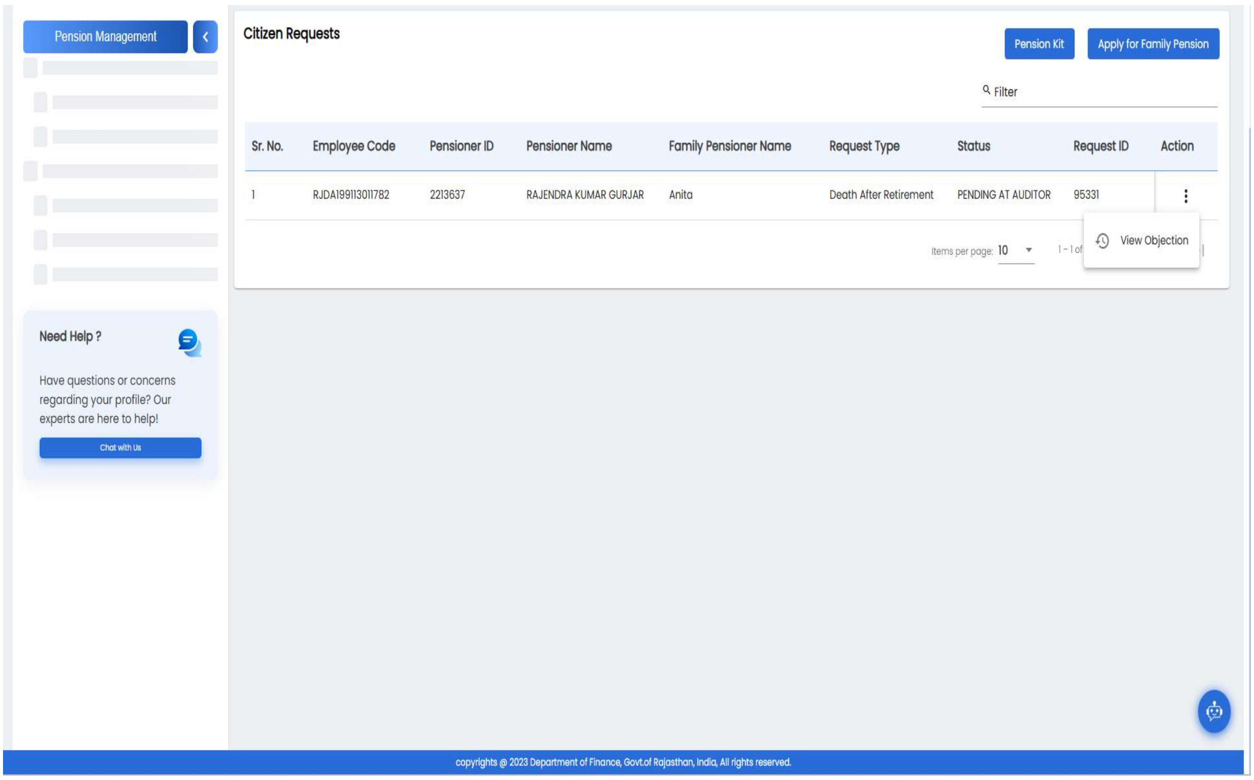
Pension Management
Citizen Requests
Pension Kit
Apply for Family Pension
Filter
Sr. No.
Employee Code
Pensioner ID
Pensioner Name
Family Pensioner Name
Request Type
Status
Request ID
Action
1
RJDA199113011782
2213637
RAJENDRA KUMAR GURJAR
Anita
Death After Retirement
PENDING AT AUDITOR
95331
View Objection
Items per page: 10
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
Chat with Us
copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

4.1 पेंशनर्स की संख्या एवं वर्गीकरण

क्र.सं.	वर्गीकरण	पेंशनर्स की संख्या
1.	राज्य पेंशनर्स	384189
2.	राज्य पारिवारिक पेंशनर्स	212349
3.	अन्य पेंशनर्स	
I	नगरपालिका के (सिविल, पारिवारिक एवं एनपीएस) पेंशनर्स	24777
Ii	राजस्व मण्डल/राजस्थान कर बोर्ड (अध्यक्ष/सदस्य) के पेंशनर्स	32
Iii	पंचायती राज (सिविल एवं पारिवारिक) पेशंनर्स	18624
Iv	दिनांक 04.09.2012 की अधिसूचना के अनुसार (विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री) पारिवारिक पेंशनर्स	5076
V	मीसा/डीआईआर पेंशनर्स	1628
Vi	अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर्स	794
Vii	न्यायिक सेवा के पेंशनर्स	470
Viii	खादी (सिविल एवं पारिवारिक) पेंशनर्स	401
Ix	राजस्थान लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य) के पेंशनर्स	20
X	गैलेन्ट्री सिविल पेंशनर्स	1
xi	स्वतंत्रता सेनानी/टोंक जागीर पेंशनर्स	0

4.2 आयु वर्ग के अनुसार पेंशनर्स का वर्गीकरण :–

क्र.सं.	आयु वर्ग	पेंशनर्स की संख्या
1	60 – 69 वर्ष	390661
3	70 –75 वर्ष	104512
4	76 –80 वर्ष	53383
5	81 –85 वर्ष	31119
6	86 –90 वर्ष	13051
7	91 –95 वर्ष	3146
8	96 –100 वर्ष	571
9	100 से अधिक आयु	95

4.3 पेंशन भुगतान आदेश

I. दिनांक 01.10.2025 से दिनांक 31.03.2026 (गत 6 माह) तक पेंशन विभाग में कुल **10522** पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए हैं एवं कुल **10503** पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	2952	2943
2.	अजमेर	1446	1446
3.	बीकानेर	1193	1191
4.	जोधपुर	1684	1680
5.	भरतपुर	915	913
6.	कोटा	831	830
7.	उदयपुर	1501	1500
	कुल	**10522**	**10503**

II. दिनांक 01.10.2025 से दिनांक 31.03.2026 (गत 6 माह) तक पेंशन विभाग में कुल **2382** पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए है एवं कुल **2367** पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (FPPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	641	629
2.	अजमेर	403	402
3.	बीकानेर	240	240
4.	जोधपुर	272	270
5.	भरतपुर	242	242
6.	कोटा	202	202
7.	उदयपुर	382	382
	कुल	**2382**	**2367**

III. दिनांक 01.10.2025 से दिनांक 31.03.2026 (गत 6 माह) तक प्रमुख विभाग जिनके द्वारा पेंशन प्रकरण विभागीय स्तर से पेंशन विभाग को प्रेषित नहीं किए गए है, उनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	विभाग का नाम	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या	पेंशन विभाग द्वारा जारी अधिकृतियों की संख्या	अग्रेषित नहीं किये गये पेंशन प्रकरणों की कुल संख्या
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	4211	4096	115
2.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	377	338	39
3.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	594	450	144

4.	पुलिस विभाग	510	457	53
5.	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	644	573	71
6.	आयुर्वेद विभाग	144	80	64
7.	पशुपालन विभाग	142	110	32
8.	राजस्व विभाग	200	157	43
9.	वन एवं पर्यावरण विभाग	252	207	45
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	200	162	38
	कुल	**7274**	**6630**	**644**

IV. दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक पेंशन विभाग में कुल **2067** पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए एवं कुल **1930** पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	542	485
2.	अजमेर	270	266
3.	बीकानेर	232	222
4.	जोधपुर	339	321
5.	भरतपुर	239	222
6.	कोटा	207	186
7.	उदयपुर	238	228
	कुल	2067	1930

V. दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक पेंशन विभाग में कुल **459** पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए एवं कुल **425** पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (FPPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	114	96
2.	अजमेर	72	71
3.	बीकानेर	47	43
4.	जोधपुर	61	57
5.	भरतपुर	49	46
6.	कोटा	44	41
7.	उदयपुर	72	71
	कुल	459	425

VI. दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक ऐसे पेंशन प्रकरण जो विभाग स्तर से अग्रेषित नहीं किये गये हैं, जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	विभाग का नाम	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या	पेंशन विभाग द्वारा जारी अधिकृतियों की संख्या	अग्रेषित नहीं किये गये पेंशन प्रकरणों की संख्या
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	595	457	138
2.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	86	47	39
3.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	107	50	57
4.	पुलिस विभाग	80	40	40
5.	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	112	74	38
6.	आयुर्वेद विभाग	39	8	31
7.	पशुपालन विभाग	21	11	10
8.	राजस्व विभाग	32	11	21
9.	वन एवं पर्यावरण विभाग	54	19	35
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	30	11	19
	कुल	**1156**	**728**	**428**

5. परिवेदना निवारण

विभाग में पेंशनर्स की समस्याओं/परिवेदनाओं के समाधान हेतु पेंशनर्स समस्या निवारण केन्द्र (PGRC) की स्थापना की गई है। पेंशनर्स सीधे ही PGRC को अपनी पेंशन संबंधी समस्याएं/शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित ऑनलाईन प्रक्रिया राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी निस्तारण किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यालयों यथा राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग आदि के माध्यम से प्राप्त पेंशनर्स की समस्याओं एवं परिवेदनाओं के निराकरण की कार्यवाही भी की जाती है। दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक प्राप्त परिवेदनाएं एवं उनके निवारण का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	प्राप्त परिवेदना का माध्यम	प्राप्त परिवेदनाएं	निस्तारित परिवेदनाएं	बकाया परिवेदना
1.	पीजीआरसी (01.10.2025 से 31.03.2026)	4780	4747	33
2.	सम्पर्क पोर्टल	2720	2671	49
3.	सीएमओ/सीएस कार्यालय/वित्त विभाग आदि	120	120	00

दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक प्राप्त परिवेदनाएं एवं उनके निवारण का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	प्राप्त परिवेदना का माध्यम	प्रारम्भिक परिवेदना शेष	माह के दौरान प्राप्त	माह के दौरान निस्तारित	अन्तिम बकाया परिवेदना
1.	सम्पर्क पोर्टल	00	278	278	00
2.	पीजीआरसी	33	753	708	78
3.	सीएमओ/सीएस कार्यालय/वित्त विभाग आदि	00	33	30	03

6. <u>वृतांत</u>

I. श्री राजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.04.2026 को थी। इनका पदस्थापन Awaiting Posting Order वाणिज्यिक कर विभाग, मुख्यालय जयपुर था। परन्तु पेंशन प्रकरण Employee Self Service (ESS) से पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय), जयपुर के स्थान पर तकनीकी समस्या के कारण उपायुक्त, वााणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा को अग्रेषित हो रहा था। परिणामस्वरूप एक माह से श्री सिंह का पेंशन प्रकरण पेंशन अधिकृति जारी करने के लिए पेंशन विभाग को अग्रेषित नहीं हुआ। दिनांक 09.04.2026 को श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा पेंशन निदेशालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपनी समस्या से अवगत कराया गया। तत्पश्चात एक दिन में तकनीकी समस्या का समाधान पेंशन विभाग की तकनीकी टीम के सहयोग से करवाकर श्री सिंह का Employee Self Service (ESS) पर पेंशन प्रकरण निदेशालय में ही तैयार करवाया गया तथा पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय), जयपुर को प्रस्तुत करवाया गया। पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग का पेंशन प्रकरण आगामी दिवस दिनांक 10.04.2026 को पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया एवं उसी दिन 2 घण्टे से भी कम समय में पेंशन अधिकृति जारी कर श्री सिंह को उपलब्ध करवायी गयी। श्री राजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त आयुक्त ने पेंशन भुगतान आदेश जारी करवाने में पेंशन विभाग द्वारा किये गये विशेष प्रयासों के लिए आभार प्रकट किया है।

II. श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व. श्री रामस्वरूप धारक पारिवारिक पेंशन पीपीओ संख्या 22551 (आर) एसएफ को दिनांक 16.08.2006 से पारिवारिक पेंशन रू. 2588 स्वीकृत की गई थी एवं माह अप्रेल, 2026 में पेंशन रू. 10029/– एवं महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा था। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रथम पेंशन अदालत की सूचना के आधार पर श्रीमती विमला देवी द्वारा दूरभाष पर कम पेंशन प्राप्त होना अवगत कराते हुए पेंशन भुगतान आदेश की फोटो प्रति प्रेषित की गई। पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश का परीक्षण करने पर स्पष्ट हुआ कि श्रीमती विमला देवी के पति स्व. श्री रामस्वरूप का राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार वेतन निर्धारण नहीं किया गया था। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, धोद, सीकर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोसाना (धोद) सीकर से सम्पर्क कर छठे वेतन आयोग अनुसार दिनांक 01.01.2006 से वेतन पुनर्निर्धारण करवाया गया। वेतन पुनर्निर्धारण पश्चात प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोसाना द्वारा पारिवारिक पेंशन संशोधन हेतु प्रकरण दिनांक 10.04.2026 को पेंशन विभाग को प्रस्तुत किया गया। जिस पर पेंशन संशोधन करने के पश्चात प्री–2013 के अनुसार पेंशन पुनर्निर्धारण कर संशोधित अधिकृति पेंशन विभाग द्वारा दिनांक 20.04.2026 को जारी की गई एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अन्तर्गत पेंशन पुनर्निर्धारण हेतु प्रकरण कोषाधिकारी, सीकर को प्रेषित किया गया। कोषाधिकारी, सीकर द्वारा संशोधित अधिकृति दिनांक 01.05.2026 को जारी कर प्री–2016 अनुसार रू. 11400/– पेंशन पुनर्निर्धारण किया गया एवं रू. 198912/– का पेंशन एरियर भुगतान श्रीमती विमला देवी, पारिवारिक पेंशनर को करवाया गया। 20 साल पुराने प्रकरण में वेतन एवं पेंशन पुनर्निर्धारण करवाकर बढ़ी

हुई पेंशन एवं एरियर का भुगतान करवाने के लिए श्रीमती विमला देवी द्वारा पेंशन विभाग का आभार प्रकट किया है।

III. पेंशनर श्रीमती मायादेवी धोबी पत्नी स्व. श्री छगनलाल धोबी, सेवानिवृत्त उप प्राचार्य, अपने पति की आकस्मिक मृत्यु दिनांक 24.02.2026 के पश्चात पढ़ी–लिखी नहीं होने के कारण स्वयं पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्रस्तुत नहीं कर सकने के कारण परेशान थी। पेंशन कार्यालय ने उनके पति के पैतृक विभाग से सम्पर्क कर प्रकरण मंगवाया एवं हाथों–हाथ पेंशन स्वीकृत कर उनको एफपीपीओ अधिकृति संख्या 2941238450 दिनांक 10.04.2026 जारी कर दिया गया। इनके द्वारा पेंशन विभाग के प्रति आभार प्रकट किया गया।

IV. पेंशनर स्व. श्री प्रताप सिंह चुण्डावत की मृत्यु दिनांक 26.01.2004 को एवं उनकी पत्नी पारिवारिक पेंशनर स्व. श्रीमती कमला कंवर की मृत्यु दिनांक 01.03.2021 को हो गई थी। उनकी विधवा पुत्री श्रीमती मोहन कंवर ने सलूम्बर कोषालय को अपनी परिवेदना प्रस्तुत की। इनका लिखित कथन था कि वो अपने माता–पिता के जीवनकाल में ही विधवा हो गई एवं उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। उन्हें सामान्य जीवन–यापन करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पेंशन कार्यालय में परिवेदना प्राप्त होते ही उनके पिता के पैतृक विभाग से सम्पर्क कर इनका प्रकरण मंगवाया गया एवं उनका एफपीपीओ–2035737 (आर) एसएफ दिनांक 17.04.2026 को जारी किया गया। इनके द्वारा पेंशन विभाग के प्रति आभार प्रकट किया गया।

V. श्री मूल चन्द शर्मा पीपीओ संख्या 771223 निवासी ग्राम व पोस्ट सुवासा, तालेड़ा जिला बूंदी दिनांक 30.06.2010 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए। इनका प्री–2016 का पेंशन पुनर्निर्धारण कोषालय बूंदी स्तर से किया जाना था एवं जून, 2018 से लंबित था। श्री शर्मा के द्वारा पेंशन अदालत में आवेदन किये जाने के उपरान्त इनकी समस्या के समाधान हेतु पेंशन कार्यालय, कोटा द्वारा कोषालय बूंदी व निदेशालय पेंशन विभाग से समन्वय कर इनके प्री–2016 के पेंशन रिवीजन में आ रही तकनीकी समस्या का समाधान कर रिवाइज्ड पीपीओ संख्या 12147594 दो दिवस में ही जारी किया गया। श्री शर्मा द्वारा पेंशन अदालत में उनकी समस्या के समाधान हेतु पेंशन विभाग को धन्यवाद ज्ञापित किया।

VI. स्व. श्रीमती मीना अध्यापिका रा.उ.प्रा.विद्यालय, धनवा जिनकी राजकीय सेवा में रहते हुए दिनांक 20 मार्च, 2018 को मृत्यु हो गई थी, इनके पति श्री दुष्यंत धनावत द्वारा पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्यूटी राशि हेतु पेंशन अदालत में आवेदन किया गया। इस संबंध में पेंशन विभाग, प्रधानाचार्य एवं श्री धनावत से हुए आपसी विचार–विमर्श के पश्चात श्री धनावत के प्रकरण में केवल ग्रेच्यूटी एवं पीएल राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय हुआ। उक्त निर्णय के फलस्वरूप प्रधानाचार्य एवं पेंशन विभाग के संयुक्त प्रयासों से दिनांक 15.04.2026 को पीपीओ नम्बर (जीपीओ भुगतान) 8104142 जारी किया गया एवं उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान के लिए बिल बनाकर कोषालय को अग्रेषित किए

गए। श्री दुष्यंत धनावत द्वारा पेंशन अदालत में इनकी समस्या को त्वरित समाधान किए जाने का पेंशन विभाग को धन्यवाद ज्ञापित किया।

VII. स्व. श्री रविन्द्र कुमार सोनी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडरिया, सरमथुरा, जिला धौलपुर राजस्थान में अध्यापक के पद पर रहते हुए, दिनांक 29.11.2015 को मृत्यु हुई, परन्तु इनका पारिवारिक पेंशन प्रकरण विगत 11 वर्ष से अधिक समय से लम्बित था। इनकी पत्नी श्रीमती पूनम सोनी के द्वारा प्रथम पेंशन अदालत के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10.03.2026 को परिवेदना प्रस्तुत कर अपनी समस्या बताई, जिस पर अतिरिक्त निदेशक, पेंशन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर द्वारा तुरन्त संज्ञान लेते हुये जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर को श्रीमती सोनी (पारिवारिक पेंशनर) को हो रही आर्थिक एवं मानसिक परेशानी पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये प्रकरण को तत्काल पेंशन कार्यालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण प्राप्ति पश्चात दिनांक 28.03.2026 को पीपीओ संख्या 8104133 (एस एफ) से पारिवारिक पेंशन की अधिकृति जारी कर श्रीमती पूनम सोनी को राहत प्रदान की गई।

VIII. श्रीमती सौमोती देवी पत्नी स्व. श्री फत्ता मीना जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटरी श्रीमहावीरजी, जिला करौली में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, की राज्य सेवा के दौरान दिनांक 19.09.2018 को मृत्यु हो गई परन्तु इनके पति की मृत्यु पूर्व में होने एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अनुसार कोई भी अविवाहित पुत्र/पुत्री नहीं होने एवं विवाहित पांच पुत्रियों में आपसी सहमति नहीं होने के कारण पेंशन परिलाभ हेतु पेंशन अदालत में परिवेदना प्राप्त हुई। पांचों विवाहित पुत्रियां आपसी सहमति पश्चात क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय, भरतपुर में उपस्थित हुई। प्रकरण प्राप्ति पश्चात संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा से कमी पूर्ति कराकर नियमानुसार पांचों पुत्रियों में ग्रेच्यूटी बराबर–बराबर बांटकर ग्रेच्यूटी अधिकृति संख्या जारी 3368041, 3368042, 3368043, 3368044, 3368045 जारी कर परिवेदना का निस्तारण किया गया।

IX. पेंशनर श्री हरफूल सिंह पिलानिया ने दिनांक 09.04.2026 को पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर रेन्ज में सम्पर्क किया। इनका नाम संशोधन संबंधी प्रकरण था। दिनांक 09.04.2026 को ही पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर रेन्ज द्वारा नाम संशोधन संबंधी आदेश जारी कर त्वरित गति से श्री पिलानिया की समस्या का समाधान कर दिया गया।

X. कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चाकसू में पदस्थापित कार्मिक श्रीमती विजी सी.एस. भूतपूर्व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मृत्यु दिनांक 06.01.2021 को हो गयी। कार्मिक श्रीमती विजी सी.एस. के पति स्व. श्री प्रशांत कुमार प्रभाकर की मृत्यु पूर्व में दिनांक 26.11.2013 को हो चुकी थी। पारिवारिक पेंशन प्रकरण निस्तारण हेतु दिनांक 12.03.2026 को पेंशन विभाग में प्राप्त हुआ तथा दिनांक 19.03.2026 को प्रकरण का निस्तारण कर आवेदनकर्ता श्री आदित प्रभाकर जो कि केरल के निवासी हैं, के पक्ष में पेंशन अधिकृतियां पीपीओ नं. 2035572 (RSF) जीपीओ 3367556 (R) जारी किए गए। इस प्रकार 5 वर्ष पूर्व मृतक राज्य कर्मचारी का पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग में प्राप्त होने पर 7 दिवस में निस्तारित किया गया।

7. प्रथम पेंशन अदालत (दिनांक 27 अप्रेल, 2026)

मुख्य सचिव महोदय के निर्देशन एवं वित्त (पेंशन) विभाग के परिपत्र दिनांक 18.02.2025 की अनुपालना में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान आदेश जारी कराने में आ रही समस्याओं एवं पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु दिनांक 27.04.2026 को संभाग स्तर पर प्रथम पेंशन अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। संभाग स्तर पर आयोजित की गई स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित प्रथम पेंशन अदालत का निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा संचालन किया गया :—

1. पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के समस्त अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय	संयोजक
2. संभाग स्तरीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
3. संबंधित संभाग के समस्त कोषाधिकारी	सदस्य
4. जिला पेंशनर समाज व जिला पेंशनर्स मंच के प्रतिनिधि	सदस्य

पेंशन अदालत में शिक्षा विभाग से संबंधित कुल 165 परिवेदनाएं निर्धारित प्रपत्र दिनांक 25.03.2026 तक प्राप्त हुई। दिनांक 01.03.2026 की स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग के 491 पेंशन प्रकरण Initiate नहीं हुए, 411 प्रकरण कमी पूर्ति के अभाव में पेंशन विभाग एवं शिक्षा विभाग के मध्य बकाया थे एवं 156 पारिवारिक पेंशन प्रकरणों में पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाना शेष था। संभाग स्तरीय अतिरिक्त निदेशक, पेंशन द्वारा निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा तथा संभाग स्तरीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा से समन्वय स्थापित कर उक्त परिवेदनाओं एवं पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की गई।

दिनांक 01.03.2026 से दिनांक 27.04.2026 को आयोजित पेंशन अदालत तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा initiate नहीं किए गए 491 पेंशन प्रकरणों में से 184 पेंशन प्रकरण initiate करवाकर पेंशन अधिकृतियां जारी करवायी गयी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पेंशन विभाग को 411 अपूर्ण पेंशन प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिनके आक्षेपों की पूर्ति करवाकर 206 पेंशन अधिकृतियां जारी करवायी गयी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 156 अपूर्ण पारिवारिक पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को प्रस्तुत किये गये थे, जिनमें से 32 प्रकरणों में आक्षेपों की पूर्ति करवाकर पारिवारिक पेंशन अधिकृतियां जारी करवायी गयी। शेष पेंशन प्रकरणों की विस्तृत सूची निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि इन बकाया प्रकरणों पर समुचित कार्रवाई करवाकर दिनांक 25.05.2026 को आयोजित समीक्षा कैम्प से पूर्व पेंशन अधिकृतियां जारी करवाने की कार्यवाही करावें।

पेंशन अदालत में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित कुल 165 परिवेदनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 96 परिवेदनाओं का निस्तारण किया गया एवं 30 परिवेदनाएं पेंशन परिलाभों के भुगतान से संबंधित होने के कारण वित्त विभाग को पेंशनर्स की सूची सहित प्रेषित कर शीघ्र भुगतान करवाये जाने का अनुरोध किया गया। शेष 39 परिवेदनाएं निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को प्रेषित कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई कर निस्तारित करने के लिए अनुरोध किया गया। पेंशन अदालत के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं में से 77 प्रतिशत परिवेदनाओं का निस्तारण किया गया है।

पेंशन अदालत में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त विभागों की 94 परिवेदनाओं में से 56 परिवेदनाओं का निस्तारण किया गया,. जो 60 प्रतिशत है। शेष परिवेदनाओं पर शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभागों को परिवेदनाएं अग्रेषित की गई है।

पेंशन अदालत में बकाया रहे पेंशन प्रकरणों एवं परिवेदनाओं निस्तारण करने हेतु वित्त (पेंशन) विभाग के परिपत्र दिनांक 18.02.2026 की अनुपालना में निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के स्तर पर दिनांक 25.05.2026 को समीक्षा कैम्प आयोजित कर इनका निस्तारण करवाया जायेगा। वित्त (पेंशन) विभाग के परिपत्र 18.02.2026 के अन्तर्गत दिनांक 25.05.2026 को आयोजित किये जाने वाले समीक्षा कैम्प के संयोजक निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा हैं तथा समीक्षा कैम्प में (1) संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, (2) निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग एवं (3) प्रदेशाध्यक्ष, पेंशनर समाज/पेंशनर्स मंच राजस्थान सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे।

पेंशन अदालत हेतु परिवेदना आवेदन फार्म
(पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन स्वीकृति हेतु)

1. कर्मचारी का नाम/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर ....
2. एम्पलोई आई.डी./पीपीओ न./एफपीपीओ नं. ....
3. पदनाम एवं कार्यालय का नाम तथा विभाग का नाम ....
4. सेवानिवृत्ति दिनांक/मृत्यु दिनांक ....
5. यदि सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु के कारण
   पारिवारिक पेंशन का प्रकरण है :
   पेंशन प्रकरण स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है अथवा नहीं ....
6. पता एवं सम्पर्क नं. (मोबाईल, टेलीफोन एवं ई–मेल आई. डी.) ....
   ....
7. परिवेदना का संक्षिप्त विवरण ....
   ....
8. यदि परिवेदना पहले प्रस्तुत/दर्ज की गई है–संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें एवं दर्ज
   शिकायत की प्रति संलग्न करें ....
9. परिवेदना से संबंधित दस्तावेजों की प्रति (यदि कोई हो) ....
10. पेंशन अदालत में व्यक्तिशः उपस्थिति अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना ....

दिनांक :– नाम एवं हस्ताक्षर

पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

दूरभाष 2740678, 2741687, 2740694 एवं 2740538

टोल फ्री नं. 18001808182

E-Mail :- dir-pen-rj.nic.in

Website : Pension.rajasthan.gov.in